

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री कमलेश उराँव पिता नंदलाल उराँव और श्री रवि उराँव पिता नंदलाल उराँव निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रेयाती) खाता सं. 383 के अधीन प्लॉट सं:- 2333, 2373, 2381, 2409, 2453, 2461, 2480, 2500, 2538, 2539, 2541, 2586, 2594, 2312/2922 & 2537/2923 खाता सं. 379 के अधीन प्लॉट सं:- 2338, 2356, 2378, 2397, 2402, 2424, 2449, 2532, 2556, 2571 & 2588, खाता सं. 374 के अधीन प्लॉट सं:- 2272, 2281, 2296, 2349, 2371, 2379, 2405, 2411, 2416, 2456, 2536, 2546, 2548, 2576, 2585 & 2597, खाता सं. 66 के अधीन प्लॉट सं:- 763/2913, कुल रकवा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ देवसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रेयाती) खाता सं. 383 के अधीन प्लॉट सं:- 2333, 2373, 2381, 2409, 2453, 2461, 2480, 2500, 2538, 2539, 2541, 2586, 2594, 2312/2922 & 2537/2923 खाता सं. 379 के अधीन प्लॉट सं:-Plot Nos. 2338, 2356, 2378, 2397, 2402, 2424, 2449, 2532, 2556, 2571 & 2588, खाता सं. 374 के अधीन प्लॉट सं:- 2272, 2281, 2296, 2349, 2371, 2379, 2405, 2411, 2416, 2456, 2536, 2546, 2548, 2576, 2585 & 2597, खाता सं. 66 के अधीन प्लॉट सं:- 763/2913, कुल रकवा - 04.00 एकड़ के तहत श्री कमलेश उराँव पिता नंदलाल उराँव और श्री रवि उराँव पिता नंदलाल उराँव निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।